प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, एवं**
माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्र. 49 वर्ष 2010

अपीलार्थी
वादी अमित मंडल

बनाम

प्रत्यर्थी
प्रतिवादी श्रीमती सिंथिया मंडल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचार्थ

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन,
न्यायमूर्ति
दिनांक 26.04.2012

माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दूसी, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूँ

सही/-
डॉ. आई.एम. कुद्दूसी,
न्यायमूर्ति
दिनांक 26.04.2012

निर्णय हेतु दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को सूचीबद्ध किया जाये।

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन,
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, एवं**

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्तिगण

प्रथम अपील (वैवाहिक) क्र. 49 वर्ष 2010

अपीलार्थी/वादी अमित मंडल

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी श्रीमती. सिंथिया मंडल

उपस्थित: श्री मनोज परांजपे, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री एस.एन. नांदे, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को उद्घोषित किया गया)

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायमूर्ति द्वारा

1. यह अपील अपीलार्थी/वादी द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो कुटुंब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 7.4.2010 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें व्यवहार वाद क्रमांक 24-ए/07 में

अपीलार्थी/वादी द्वारा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अंतर्गत, अभित्यजन एवं क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद के लिए, प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

2. पक्षकारों के बीच अविवादित तथ्य यह हैं कि पक्षकारों के बीच विवाह दिनांक 29.10.2001 को सेंट ऑगस्टाइन चर्च, तरबहार, बिलासपुर के पादरी द्वारा ईसाई रीतियों एवं अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न कराया गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपीलार्थी/पति के साथ उसके वैवाहिक निवास स्थान 27 खोली, बिलासपुर में रहना प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात् अपीलार्थी/पति को भाटगांव क्षेत्र में अपनी कर्तव्य निभाने हेतु जाना पड़ा, क्योंकि वह वहाँ पदस्थ था। प्रत्यर्थी/पत्नी सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर में एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत थी। उनके वैवाहिक जीवन से एक कन्या संतान का जन्म दिनांक 25.4.2003 को हुआ। दिनांक 20.12.2002 से प्रत्यर्थी/पत्नी बच्चे के साथ अपनी माता के घर जराहभाटा, बिलासपुर में अलग रह रही है। हालांकि, शेष तथ्य विवादित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/वादी के अनुसार, अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी का विवाह दिनांक 29.10.2001 को सेंट ऑगस्टाइन चर्च, तरबहार, बिलासपुर में ईसाई रीतियों एवं अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न हुआ था तथा विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी ने कुछ समय तक उसके साथ उसके वैवाहिक गृह में निवास किया। कुछ समय पश्चात् अपीलार्थी को सरगुजा जिले के भाटगांव क्षेत्र में अपनी कर्तव्य निर्वहन हेतु जाना पड़ा, क्योंकि वह वहाँ स्टेनो के पद पर एस.ई.सी.एल. में पदस्थ था। विवाह के आरंभ से ही मतभेद के कारण दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती थी। प्रत्यर्थी ने बिना किसी न्यायोचित एवं युक्तिसंगत कारण के अपीलार्थी का साथ त्याग दिया तथा दिनांक 20.12.2002 से अपनी माता के साथ जराहभाटा, बिलासपुर में रह रही है। अपीलार्थी द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद वह वापस आकर उसके साथ रहने से अस्वीकार करती रही। उनके दांपत्य जीवन से दिनांक 25.4.2003 को एक कन्या संतान का जन्म हुआ, जो प्रत्यर्थी

के साथ है। प्रत्यर्थी के हठीले व्यवहार के कारण उसने बिना किसी न्यायोचित एवं युक्तिसंगत कारण के अपीलार्थी के साथ का अभित्यजन कर दिया है और इस प्रकार उसके प्रति क्रूरता का आचरण किया है। इन आधारों पर अपीलार्थी द्वारा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 के अंतर्गत विवाह-विच्छेद की डिक्री हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का पक्ष यह है कि वह वर्ष 1996 से सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एकाउंटेंट के पद पर पदस्थ थी तथा यह तथ्य विवाह के समय अपीलार्थी तथा उसके परिवारजन को ज्ञात था। विवाह के तुरंत पश्चात् अपीलार्थी तथा उसके परिवारजन ने उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित एवं यातना दी, छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते तथा उसे घर छोड़ने हेतु कहते रहे जिसकी वजह से अपीलार्थी का गर्भपात हो गया। दूसरी बार गर्भधारण के समय भी अपीलार्थी तथा उसके परिवारजन के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसके कारण वह गर्भावस्था के दौरान वह तनाव में रही, इन परिस्थितियों के कारण, दिनांक 20.12.2002 को स्वयं अपीलार्थी ने उसके मायके पर छोड़ दिया तथा उससे कहा कि जब तक वह न बुलाए, वह अपने सुसराल गृह पर वापस न आए। अपीलार्थी ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह उसकी देखभाल करेगा तथा उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तथापि, दिनांक 20.12.2002 को प्रत्यर्थी को उसके मायके पर छोड़ आने के उपरान्त, अपीलार्थी न तो उससे मिलने आया और न ही उसकी कोई ख्याल रखा। उसने दिनांक 25.4.2003 को सात माह की अपरिपक्व कन्या शिशु को ऑपरेशन द्वारा जन्म दिया तथा अस्पताल के समस्त व्यय का वहन उसकी माता द्वारा किया गया। अपीलार्थी ने कभी भी विवादों को सुलझाने तथा उसे वापस ले जाने के लिए सभी प्रयास नहीं किए। इसके विपरीत, अपीलार्थी तथा उसकी माता द्वारा दम्पत्ति के मध्य उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे अपीलार्थी के हठधर्मी रवैये के कारण निष्फल रहे। अतः, अपीलार्थी के हठधर्मी रुख तथा अपीलार्थी पर अपीलार्थी एवं उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई क्रूरता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के कारण, वह अपनी पुत्री सहित अपनी माता के निवास पर रह रही है तथा अपीलार्थी के साथ रहना नहीं चाहती।

5. विद्वान कुटुंब न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त आक्षेपित निर्णय द्वारा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के अधीन विवाह विच्छेद हेतु अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

6. विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

7. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रस्तुत आवेदन में वर्णित कथनों को पुष्ट करने के लिए, अपीलार्थी ने स्वयं के अतिरिक्त श्रीमती. रानी कौर, अमिताभ तिवारी तथा अपने भाई को अ.सा.-2, अ.सा.-3 एवं अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया है। इसके विपरीत, अपने लिखित कथन में किए गए अभिवचन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी ने स्वयं के अतिरिक्त श्रीमती. डी.एस.वाघे, उसकी चचेरी बहन शबनम इनॉक्स तथा पी.वी. श्रीधार को क्रमशः प्र.सा.-2, प्र.सा.-3 एवं प्र.सा.-4 के रूप में परीक्षण कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. यह निर्विवाद है कि पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 29.10.2001 को बिलासपुर में ईसाई रीति-रिवाजों एवं रस्मों के अनुसार संपन्न हुआ था और उनके इस वैवाहिक संबंध से दिनांक 25.4.2003 को एक कन्या का जन्म हुआ तथा प्रत्यर्थी/पत्नी दिनांक 20.12.2002 से बच्चे के साथ जारहाभाटा, बिलासपुर स्थित अपनी माँ के निवास पर अलग रह रही है। अपीलार्थी अमित मंडल (अ.सा.-1) के कथनानुसार, विवाह के तत्काल पश्चात, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के मध्य वैचारिक मतभेद के कारण स्थिति सदैव तनावपूर्ण रहती थी और चूंकि वह सरगुजा जिले के भटगांव क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. में शीघ्रलेखक के पद पर पदस्थ था, इसलिए उसे मुख्यालय में रहना पड़ता था। उसने आगे यह कथन किया है कि उसकी अनुपस्थिति में, प्रत्यर्थी बिना किसी

उचित और पर्याप्त कारण के अपना वैवाहिक घर छोड़ कर चली गई थी और दिनांक 20.12.2002 से जरहाभाठा में अपनी माँ के साथ रह रही है।

9. श्रीमती रानी कौर (अ.सा. 2), जो अपीलार्थी की पड़ोसिन हैं, ने कथन किया है कि विवाह के पश्चात्, चूंकि अपीलार्थी सरगुजा के भटगांव क्षेत्र में एस.ई.सी.एल में शीघ्रलेखक के रूप में पदस्थ है तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दोनों भिन्न-भिन्न नौकरियों में हैं, अतएव, अपीलार्थी के भटगांव स्थानांतरित होने के पश्चात्, प्रत्यर्थी ने अपना ससुराल घर छोड़ दिया था और अपनी माता के साथ निवास कर रही है। साक्षी (अ.सा. 2) ने आगे यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी की माता और बहन दिनांक 28.12.2002 को उसके (अ.सा. 2 के) घर आई थीं और उससे कहा था कि उसे अपीलार्थी से प्रत्यर्थी के लिए एक पृथक् आवास लेने को कहना चाहिए। प्रत्यर्थी की माता ने उससे कहा था कि यदि अपीलार्थी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं होता है, तो वह (प्रत्यर्थी की माता) अपनी पुत्री (प्रत्यर्थी) को अपीलार्थी के घर नहीं भेजेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी के साक्षियों श्रीमती रानी कौर (अ.सा. 2), अमिताभ तिवारी (अ.सा. 3) तथा साथ ही विकास मंडल (अ.सा. 4) ने यह कथन किया है कि बिना किसी कारण के, प्रत्यर्थी ने अपना ससुराल घर दिनांक 20.12.2002 को छोड़ दिया था और तब से अपनी माता के घर में निवास कर रही है तथा उनके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, उसने वापस आने और अपीलार्थी के साथ रहने से इंकार कर दिया था। यद्यपि अपीलार्थी ने अपनी प्रति-परीक्षण में यह कथन किया है कि विवाह के समय, यह उसके ज्ञान में नहीं था कि क्या प्रत्यर्थी एक कामकाजी महिला थी, परंतु अपीलार्थी के साक्षियों श्रीमती रानी कौर (अ.सा. 2), अमिताभ तिवारी (अ.सा. 3) और विकास मंडल (अ.सा. 4), जो अपीलार्थी का भाई है, के कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के एक कामकाजी महिला होने का तथ्य विवाह के समय अपीलार्थी के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के भली-भांति ज्ञान में था और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी ।

11. प्रत्यर्थी श्रीमती सिंथिया मंडल (प्र.सा. 1) ने स्वयं अपनी मुख्य-परीक्षण में यह कथन किया है कि विवाह के समय ही, अपीलार्थी सरगुजा जिले के भटगांव क्षेत्र में एस.ई.सी.एल. में शीघ्रलेखक के रूप में पदस्थ था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यह तथ्य कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों नौकरी में सेवारत हैं, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों के भली-भांति ज्ञान में था, और यह प्रत्यर्थी के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के ज्ञान में भी था कि अपीलार्थी भटगांव, जिला सरगुजा में एस.ई.सी.एल. में शीघ्रलेखक के रूप में अभी भी पदस्थ है ।

12. प्रत्यर्थी/पत्नी (प्र.सा.-1) ने स्वयं कथन किया है कि विवाह के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी द्वारा तथा उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया गया तथा जिसके कारण उसका गर्भपात हो गया। जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब भी अपीलार्थी के पारिवारिक सदस्यों का रवैया उसी प्रकार का रहा। दिनांक 20.12.2002 को जिस आश्वासन के साथ अपीलार्थी ने उसे उसके मायके पर छोड़ा था कि वह उसकी देखभाल करेगा तथा उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, किन्तु पुत्री के जन्म दिनांक 25.4.2003 को होने के बाद भी सूचना मिलने पर न तो अपीलार्थी और न ही उसके पारिवार का कोई सदस्य उसकी पुत्री को देखने आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. शबनम इनॉक्स (प्र.सा. 3), जो प्रत्यर्थी की चचेरी बहन है, ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी के गर्भपात कराने के पश्चात्, अपीलार्थी की माता ने उसे बुलाया था और प्रत्यर्थी की परिचर्या करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उससे (शबनम इनॉक्स, प्र.सा. 3 से) कहा था कि वह प्रत्यर्थी को अपने साथ ले जाए, जिस पर वह प्रत्यर्थी को अपने निवास स्थान पर ले गई थी और उस समय, अपीलार्थी बिलासपुर में नहीं था, अपितु भटगांव में अपने पदस्थापना के स्थान पर था। उसने (प्र.सा.3 ने) अपने मुख्य-परीक्षण में आगे यह कथन किया है कि उसके पश्चात्,

जब रविवार को अपीलार्थी बिलासपुर आया था, तो वह उसके (शबनम इनॉक्स के) निवास स्थान पर गया था और प्रत्यर्थी को अपने साथ वापस अपने घर ले गया था।

14. इसके विपरीत प्रत्यर्थी/पत्नी (प्र.सा.-1) ने कहा है कि गर्भावस्था के दौरान अपीलार्थी तथा उसके पारिवारिक सदस्यों का उसके प्रति कठोर रवैया था, इसलिए दिनांक 20.12.2002 को अपीलार्थी ने उसे उसके मायके पर छोड़ दिया। यह आरोप अपीलार्थी के साक्षियों द्वारा अस्वीकार किया गया है तथा अपीलार्थी ने अपनी प्रति-परीक्षण में स्पष्टतः कहा है कि गर्भावस्था के दौरान उसने प्रत्यर्थी को उसके मायके जाने को नहीं कहा था तथा वास्तव में उसके अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी ने स्वयं दिनांक 20.12.2002 को ससुराल घर त्याग दिया तथा उसके पश्चात् अपनी माता के साथ निवास कर रही है।

15. विकास मंडल (अ.सा. 4), जो अपीलार्थी का भाई है, ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी भाभी (प्रत्यर्थी) ने इस आधार पर दिनांक 20.12.2002 को अपना दाम्पत्य गृह छोड़ दिया था कि वह क्रिसमस मनाने के लिए अपनी माता के घर जा रही है और वह अपनी माता के घर चली गई थी और तब से सभी प्रयासों के बावजूद, उसने वापस लौटने तथा अपने ससुराल घर में अपीलार्थी के साथ निवास करने से इंकार कर दिया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. श्रीमती डी.एस. वाघे (प्र.सा. 2), जो प्रत्यर्थी की माता हैं, ने अपने कथन की कंडिका-12 में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि चूंकि उसकी पुत्री (प्रत्यर्थी) ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, अतएव, वह उसे वापस उसके ससुराल घर नहीं भेजना चाहती है। प्रत्यर्थी/पत्नी श्रीमती सिंथिया मंडल (प्र.सा. 1) और उसकी माता श्रीमती डी.एस. वाघे (प्र.सा. 2) ने यह कथन किया है कि विवाह के तत्काल पश्चात्, अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य प्रत्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित और परेशान कर रहे थे, जिसके कारण वह अपनी अवयस्क पुत्री के साथ जरहाभाठा, बिलासपुर में अपनी माता के साथ एक किराए के मकान में निवास कर रही है ।

17. निर्विवाद रूप से, पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 29.10.2001 को संपन्न हुआ था और प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.12.2002 को इसे छोड़ने से पूर्व दिनांक 19.12.2002 तक अपने ससुराल घर में निवास किया था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी अपने दाम्पत्य गृह में लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक रही थी। प्रत्यर्थी के साथ-साथ उसकी माता के अनुसार, विवाह के तत्काल पश्चात् प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा निरंतर परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था, परंतु इस संबंध में न तो किसी पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी और न ही किसी प्राधिकारी से कोई शिकायत की गई थी। यह विवाद का विषय नहीं है कि विवाह संपन्न होने से पूर्व, अपीलार्थी एस.ई.सी.एल. में शीघ्रलेखक के रूप में कार्यरत रहा है और सरगुजा जिले के भटगांव क्षेत्र में पदस्थ है और प्रत्यर्थी राजेंद्र नगर, बिलासपुर में सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लेखापाल के रूप में कार्यरत है। शबनम इनॉक्स (प्र.सा. 3), जो प्रत्यर्थी की चचेरी बहन है, के कथन से यह पाया जाता है कि उसने (प्र.सा. 3 ने) प्रत्यर्थी की सास द्वारा कहे जाने पर, प्रत्यर्थी को अपने घर ले गई थी, परंतु जब रविवार को अपीलार्थी बिलासपुर आया, तो वह तत्काल अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) को अपने घर ले गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रत्यर्थी/पत्नी श्रीमती सिंथिया मंडल (प्र.सा. 1) ने यह भी अभिकथन किया है कि अपीलार्थी सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उसके कार्यस्थल पर आया करता था और उसे अभित्रास देता था तथा धन की मांग करता था। तथापि, यह विवाद का विषय नहीं है कि अपीलार्थी कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं है, अपितु एस.ई.सी.एल. में शीघ्रलेखक के पद पर कार्यरत है, जो एक केंद्र सरकार का उपक्रम है, और निश्चित रूप से एक सम्मानजनक वेतन प्राप्त कर रहा होगा ।

19. पी.वी. श्रीधर (प्र.सा. 4) ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी के कार्यस्थल पर अपीलार्थी आया करता था और उसे अभित्रास देता था तथा उससे धन की मांग करता था, जिसके कारण प्रत्यर्थी द्वारा उसके (पी.वी. श्रीधर, प्र.सा. 4) माध्यम से 70,000/- रुपये नकद अपीलार्थी को दिए गए

थे। तथापि, इस साक्षी का कथन विश्वास के योग्य नहीं है क्योंकि स्वयं प्रत्यर्थी/पत्नी (प्र.सा. 1) ने यह कथन नहीं किया है कि उसने इस साक्षी के माध्यम से अपीलार्थी को कभी 70,000/- रुपये नकद का संदाय किया था।

20. प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह स्थापित हो गया है कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण प्रत्यर्थी अपना ससुराल घर छोड़ने के लिए विवश हुई थी। इसके विपरीत, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थी के साथ-साथ उसकी माता इस बात पर आग्रह कर रही थी कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के लिए एक अलग आवास लेना चाहिए और अपीलार्थी द्वारा उनकी मांग को स्वीकार न किए जाने पर, प्रत्यर्थी की माता ने उसे (प्रत्यर्थी को) वापस उसके दाम्पत्य गृह भेजने से इंकार कर दिया था। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि प्रत्यर्थी द्वारा भरण-पोषण प्रदान करने हेतु दं.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और आदेश दिनांक 15.1.2007 के द्वारा, कुटुंब न्यायालय ने केवल अवयस्क पुत्री को 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण प्रदान किया है। इस प्रकार, यह प्रकट है कि कुटुंब न्यायालय ने भी यह पाया था कि प्रत्यर्थी बिना किसी न्यायसंगत और युक्तियुक्त कारण के अपने पति (अपीलार्थी) से पृथक् निवास कर रही है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से तथा बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के दिनांक 20.12.2002 को ससुराल घर त्याग दिया तथा उसके पश्चात् अपनी माता के साथ निवास कर रही है तथा इस प्रकार अपीलार्थी के साथ का अभित्यजन कर दिया है, जो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपीलार्थी के प्रति क्रूरता के समान है। विद्वान कुटुंब न्यायालय ने भारतीय विवाह विच्छेद

अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार कर विधि की स्पष्ट त्रुटि कारित की है और इस प्रकार, यह धारा के अंतर्गत पोषणीय नहीं है।

22. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। कुटुंब न्यायालय, बिलासपुर के आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 7.4.2010 को एतद्द्वारा आपस्त किया जाता है। फलस्वरूप, अपीलार्थी/वादी द्वारा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है और पक्षकारों के मध्य दिनांक 29.10.2001 को संपन्न हुआ विवाह एतद्द्वारा विघटित (समाप्त) किया जाता है।

23. व्यय संबंधी कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

24. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिए जाते हैं कि डिक्री तैयार करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आई. एम. क़ुद्दूसी
न्यायाधीश

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By T.R. Burman